2.2

प्रपत्र–5

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कपकोट ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो का निर्माण ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
नि0 शाखा उ0 पे0 निगम
बागेश्वर

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Bageshwar

अधिशासी अभियंता
नि0 शाखा उ0 पे0 निगम
बागेश्वर

संख्याः 1750/उन्तीस(2)/16–2(20 पे0)/2016

प्रेषक,

महावीर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर,2016**

विषयः– विŮीय वर्ष 2016–17 में नाबार्ड फेस–2 के अन्तर्गत वित्त पोषित 17 पेयजल योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 1121/XXVII(1)/2016 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 एवं सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून के पत्र संख्याः राबैं, उत्तराखण्ड/ 1597/ एडी (एलओएस) –15 /2016–17 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड फेस–2 के अन्तर्गत वित्त पोषित 17 पेयजल योजनाओं 17% सेन्टेज सहित की कुल लागत रू0 8692.87लाख(रू0 छियासी करोड़ बयानवे लाख सतासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी रू 2392.9140लाख(रू0 रू0 तेइस करोड़ बयानवे लाख बयानवें लाख इक्यानवे हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष संलग्न सूची के कालम–05 में अंकित विवरणानुसार रू0 2300.00लाख(रू0 तेईस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम

सहायक अभियन्ता

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति– आयोजनागत – 102–ग्रामीण जलपूर्ति–05–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान–00–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु मद के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– **H 1610131236** दिनांक 21 अक्टूबर,2016 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई,2016 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या–182/XXVII (2)/2016, 21 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नकः–17 पेयजल योजनाओं की सूची।</u>

भवदीय,
(महावीर सिंह)
उप सचिव।

पृ0सं0 (1)/उन्तीस(2)/16–2(20 पे0)/2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः (?) / उन्तीस(2) / 16–2(20 पे0) / 2016 दिनांक 21 अक्टूबर,2016 का संलग्नकः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की कुल लागत (रू0 17% सैन्टेज सहित)	वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि निर्माण	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला की सन्याल गांव पेयजल योजना। (घो0 सं0–31 / 2015)	298.02	–	79.800
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला की गलाती से तल्ला गलाती पेयजल योजना। (घो0 सं0–35 / 2015)	222.86	–	59.613
3	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला की खेला–II पेयजल योजना का निर्माण। (घो0 सं0–1145 / 2015)	185.48	–	49.635
4	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी की बासंबगड़ नाचनी पेयजल योजना।	256.60	–	68.385
5	जनपद पिथौराग के विकासखण्ड धारचूला की सुवा पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	152.17	–	40.575
6	जनपद बागेश्वर की किउई--पचार ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–294 / 2014)	224.93	–	59.403
7	जनपद बागेश्वर की कपकोट ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–612 / 2012)	465.08	–	111.261
8	जनपद अल्मोड़ा विकासखण्ड सल्ट की बूंगीधार ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–1852 / 2015)	320.84	–	85.614
9	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी की हाथीखाल पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	204.09	–	39.696
10	जनपद नैनीताल के जीतपुर गौलापार पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–374 / 2015)	123.95	–	32.772
11	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी की छोटी गुखानी पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	237.76	–	56.865
12	जनपद चम्पावत की सनिहार गूंठ, सैलानी गूठ पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–1985 / 2015)	372.61	–	100.434
13	जनपद चमोली के विकाखण्ड गैरसैण की दाड़िमडाली पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घो0 सं0–732 / 2015)	153.15	–	41.004
14	जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग की बैरफाला– नकोट– बरसाली पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	167.70	–	46.227

Mahakhur